



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (II)
PART II—Section 3—Sub-section (II)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

18
4/11/88

सं. 130] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 3, 1988/फाल्गुन 13, 1909
No. 130] NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 3, 1988/PHALGUNA 13, 1909

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a
separate compilation

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 मार्च, 1988

क्र.आ. 241(अ) :—जबकि इसमें उपाखण्ड अनुसूची में विविष्ट विभिन्न गोदी कर्मचारी (नियोजन का विनियमन) स्कीमों में और संशोधन करने के लिये स्कीम का प्रारूप भारत राजपत्र दिनांक 19 सितम्बर, 1987 के भाग 2 खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में पृष्ठ 3138 से 3140 पर भारत सरकार जल-भूतल परिवहन मंत्रालय की अधिसूचना क्र.आ.सं. 2544 दिनांक 3-9-87 द्वारा गोदी कर्मचारी (नियोजन का विनियमन) अधिनियम 1948(1948 का 9वां) की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा यथा-अपेक्षित रूप में प्रकाशित किया गया था और ऐसा करते समय उस पर सरकारी राजपत्र में उक्त अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि के भीतर उन सभी व्यक्तियों से, जिनकी उससे प्रभावित होने की संभावना है, आपत्तियां तथा सुझाव मंगाये गये थे ;

तथा जबकि उक्त राजपत्र की प्रतियां जब जन-साधारण को 24 मिनटखर, 87 को उपलब्ध कराई गई थीं।

और जबकि जन-साधारण में उक्त प्रारूप पर प्राप्त आपत्तियों और सुझावों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार कर लिया गया है,

अतः अब केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा (4) की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित स्कीम बनाती है, अर्थात् :—

स्कीम

- (1) यह स्कीम गोदी कर्मचारी (नियोजन का विनियमन) संशोधन स्कीम 1988 कहलायेगी।
- (2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से लागू होगी।

2. इसमें उपाखण्ड अनुसूची के स्तम्भ (2) में उल्लिखित उक्त कर्मचारी (नियोजन का विनियमन) स्कीम को उस रीति से संशोधित किया जायेगा जैसा कि उसके स्तम्भ (3) में विनिश्चित किया गया है।

अनुसूची		1	2	3
क्रम सं.	संक्षिप्त नाम	संशोधन		
1	2	3		
1.	बम्बई डाक कर्मचारी (नियोजन का विनियमन) स्कीम, 1956	(1) खण्ड 7 के उपखण्ड (1) में (क) मध (ग) में "रजिस्ट्रीकृत नियोजकों और" शब्दों का लोप किया जायेगा। (ख) मध (घ) में, "समायोजन करने" शब्दों का लोप किया जायेगा। (2) खण्ड 8 में, उपखण्ड (घ) का लोप किया जायेगा ; (3) खण्ड 15 में, उपखण्ड (1) में, मध (ग) के स्थान पर निम्नलिखित मध रखा जायेगा, अर्थात् :— " (ग) ऐसे व्यक्तियों को जिन्हें मद्रास पसन न्यास के अध्यक्ष द्वारा नौभारक के रूप में कृत्य करने के लिये अनुज्ञप्ति दी गई है, अनुज्ञप्ति के बालू रहने के दौरान स्कीम के अधीन रजिस्ट्रीकृत किया गया समझा जायेगा।" (4) खण्ड 44 के उपखण्ड (1) की मध (2) में, उपमध (ख) में, "बोर्ड" शब्द के स्थान पर, दोनों स्थानों पर जहाँ वे जाते हैं, "अध्यक्ष" शब्द रखा जायेगा। (5) खण्ड 48 में,— (क) उप खण्ड (2) का लोप किया जायेगा तथा उपखण्ड (3), (4) व (5) को क्रमशः (2), (3) व (4) के रूप में पुनः संख्यांकित किया जायेगा। (ख) इस प्रकार पुनः संख्यांकित किये गये उप खण्ड (3) में, शब्दों, ब्रेकेटों व अंकों "उपखण्ड (1), (2) व (3)" के स्थान पर "उपखण्ड (1) व (2)" रखा जायेगा।	(3) खण्ड 15 में, उपखण्ड (1) में मध (ग) के स्थान पर निम्नलिखित मध रखा जायेगा, अर्थात् :— " (ग) ऐसे व्यक्तियों को जिन्हें मद्रास पसन न्यास के अध्यक्ष द्वारा नौभारक के रूप में कृत्य करने के लिये अनुज्ञप्ति दी गई है, अनुज्ञप्ति के बालू रहने के दौरान स्कीम के अधीन रजिस्ट्रीकृत किया गया समझा जायेगा।", (4) खण्ड 45 के उपखण्ड (1) की मध (2), में, "बोर्ड" शब्द के स्थान पर, दोनों स्थानों पर जहाँ वे जाते हैं, "अध्यक्ष" शब्द रखा जायेगा। (5) खण्ड 48 में,— (क) उपखण्ड (2) का लोप किया जायेगा तथा उपखण्ड (3), (4) व (5) को, उपखण्ड (2), (3) व (4) के रूप में पुनः संख्यांकित किया जायेगा। (ख) इस प्रकार पुनः संख्यांकित किये गये उपखण्ड (3) में शब्दों, ब्रेकेटों व अंकों "उपखण्ड (1), (2) व (3)" के स्थान पर "उपखण्ड (1) व (2)" रखा जायेगा	
2.	मद्रास डाक कर्मचारी (नियोजन का विनियमन) स्कीम, 1956	(1) खण्ड 7 के उपखण्ड (1) में,— (क) मध (ग) में, "रजिस्ट्रीकृत नियोजकों और" शब्दों को लोप किया जायेगा। (ख) मध (घ) में, "समायोजन करने" शब्दों का लोप किया जायेगा, (2) खण्ड 8 में, उपखण्ड (घ) का लोप किया जायेगा,	3. कोचीन डाक कर्मचारी (नियोजन का विनियमन) स्कीम, 1959	(1) खण्ड 7 के उपखण्ड (1) में,— (क) मध (ग) में, "रजिस्ट्रीकृत नियोजकों और" शब्दों का लोप किया जायेगा, (ख) मध (घ) में, "समायोजन करने" शब्दों का लोप किया जायेगा, (2) खण्ड 8 में, उपखण्ड (घ) का लोप किया जायेगा, (3) खण्ड 15 में, उपखण्ड (1) में, मध (ग) के स्थान पर निम्नलिखित मध रखा जायेगा, अर्थात् :— " (ग) ऐसे व्यक्तियों को जिन्हें कोचीन पसन न्यास के अध्यक्ष द्वारा नौभारक के रूप में कृत्य करने के लिये अनुज्ञप्ति दी गई है, अनुज्ञप्ति के बालू रहने के दौरान स्कीम के अधीन रजिस्ट्रीकृत किया गया समझा जायेगा।"

1	2	3	1	2	3
	(4) खण्ड 45 के उपखण्ड (1) की मध (2) में, उपमद (ख) में, "बोर्ड" शब्द के स्थान पर, दोनों स्थानों पर जहाँ वे आते हैं, "अध्यक्ष" शब्द रखा जायेगा।				(ख) इस प्रकार पुनः संख्यांकित किये गये उप खण्ड (3) में, शब्दों, ब्रेकेटों, व अंकों "उपखण्ड (1), (2) व (3)" के स्थान पर "उपखण्ड (1) व (2)" रखा जाएगा।
	(5) खण्ड 49 में,—				
	(क) उपखण्ड (2) का लोप किया जायेगा तथा उपखण्ड (3), (4) व (5) को उपखण्ड (2) (3) व (4) के रूप में पुनः संख्यांकित किया जायेगा।		5. मारमुगाओं का कर्मचारी (नियोजन का विनियमन) स्कीम, 1965	(1) खण्ड 7 के उपखण्ड (1) में,—	(क) मद (ग) में, "रजिस्ट्रीकृत नियोजकों और" शब्दों का लोप किया जाएगा,
	(ख) इस प्रकार पुनः संख्यांकित किये गये उपखण्ड (3) में, शब्दों, ब्रेकेटों व अंकों "उपखण्ड (1), (2) व (3)" के स्थान पर "उपखण्ड (1), व (2)" रखा जायेगा।			(ख) मध (घ) में "समायोजन करने" शब्दों का लोप किया जायेगा,	
4. विद्यावापसनम डाक कर्मचारी (नियोजन का विनियमन) स्कीम, 1959	(1) खण्ड 7 के उपखण्ड (1) में,—	(क) मध (ग) में, "रजिस्ट्रीकृत नियोजकों और" शब्दों का लोप किया जायेगा,		(2) खण्ड 8 में, उपखण्ड (घ) का लोप किया जायेगा,	(3) खण्ड 16 में, उपखण्ड (1) में, (ग) के स्थान पर निम्नलिखित मध रखी जाएगी, अर्थात् :—
	(ख) मध (घ) में, "समायोजन करने" शब्दों का लोप किया जायेगा,				"(ग) ऐसे व्यक्तियों को जिन्हें मारमुगाओं परतन ध्वास के अध्यक्ष द्वारा नौभारक के रूप में कृत्य करने के लिये अनुज्ञप्ति दी गई है, अनुज्ञप्ति के प्राप्त रहने के दौरान स्कीम के अधीन रजिस्ट्रीकृत किया गया समझा जायेगा।"
	(2) खण्ड 8 में, उपखण्ड (घ) का लोप किया जायेगा,				
	(3) खण्ड 14 में, उपखण्ड (1) में मध (ग) के स्थान पर निम्नलिखित मध रखा जायेगी, अर्थात् :—				(4) खण्ड 46 के उपखण्ड (1) की मध (2) में, उपमद (ख) में, "बोर्ड" शब्द के स्थान पर, दोनों स्थानों पर जहाँ वे आते हैं, "अध्यक्ष" शब्द रखा जायेगा।
	"(ग) ऐसे व्यक्तियों को जिन्हें विद्यावापसनम परतन न्यास के अध्यक्ष द्वारा नौभारक के रूप में कृत्य करने के लिये अनुज्ञप्ति दी गई है, अनुज्ञप्ति के प्राप्त रहने के दौरान स्कीम के अधीन रजिस्ट्रीकृत किया गया समझा जायेगा।"				(5) खण्ड 50 में,—
	(4) खण्ड 44 के उपखण्ड (1) की मध (2) में, उपमद (ख) में, "बोर्ड" शब्द के स्थान पर, दोनों स्थानों पर जहाँ वे आते हैं, "अध्यक्ष" शब्द रखा जायेगा।				(क) उपखण्ड (2) का लोप किया जायेगा तथा उपखण्ड (3), (4) व (5) को क्रमशः उपखण्ड (2), (3) व (4) के रूप में पुनः संख्यांकित किया जायेगा।
	(5) खण्ड 48 में,—				(ख) इस प्रकार पुनः संख्यांकित किये गये उपखण्ड (3) में शब्दों, ब्रेकेटों व अंकों "उपखण्ड (1), (2) व (3)" के स्थान पर "उपखण्ड (1) व (2)" रखा जायेगा।
	(क) उपखण्ड (2) का लोप किया जायेगा तथा उपखण्ड (3), (4) व (5) को क्रमशः उपखण्ड (2), (3) व (4) के रूप में पुनः संख्यांकित किया जायेगा।				

1	2	3
6. काठला डाक कर्मचारी (नियोजन का विनियमन) स्कीम 1969	(1) खण्ड 7 के उपखण्ड (1) में,— (क) मद (ग) में, "रजिस्ट्रीकृत नियोजकों और" शब्दों का लोप किया जायेगा, (ख) मद (घ) में, "समायोजन करने" शब्दों का लोप किया जायेगा, (2) खण्ड 8 में, उपखण्ड (घ) का लोप किया जायेगा, (3) खण्ड 16 में, उपखण्ड (1) में मद (ग) के स्थान पर निम्नलिखित मद रखी जायेगी, अर्थात् :— " (ग) ऐसे व्यक्तियों को जिन्हें काठला पत्तन न्यास के अध्यक्ष द्वारा नौभारक के रूप में कृत्य करने के लिये अनुज्ञप्ति दी गई है, अनुज्ञप्ति के चालू रहने के दौरान स्कीम के अधीन रजिस्ट्रीकृत किया गया समझा जायेगा ।"	
	(4) खण्ड 46 के उपखण्ड (1) की मद (2) में, उपमद (ख) में, "बोर्ड" शब्द के स्थान पर, दोनों स्थानों पर जहाँ वे आते हैं "अध्यक्ष" शब्द रखा जायेगा (5) खण्ड 50 में,— (क) उपखण्ड (2) का लोप किया जायेगा तथा उपखण्ड (3), (4) व (5) को क्रमशः उप- खण्ड (2), (3) व (4) के रूप में पुनः संख्यांकित किया जायेगा । (ख) इस प्रकार पुनः संख्यांकित किये गये उपखण्ड (3) में शब्दों, ब्रेकेटों व अंकों "उपखण्ड (1), (2) व (3)" के स्थान पर "उपखण्ड (1) व (2)" रखा जायेगा ।	
7. कलकत्ता डाक कर्मचारी (नियोजन का विनियमन) स्कीम, 1970	(1) खण्ड 7 के उपखण्ड (1) में,— (क) मद (घ) में, "रजिस्ट्रीकृत नियोजकों और" शब्दों का लोप किया जायेगा, (ख) मद (घ) में, "समायोजन करने" शब्दों का लोप किया जायेगा । (2) खण्ड 8 में, उपखण्ड (ख) का लोप किया जायेगा ।	

1	2	3
		(3) खण्ड 17 में, उपखण्ड (1) में, मद (ग) के स्थान पर निम्नलिखित मद रखा जायेगा, अर्थात् :— " (ग) ऐसे व्यक्तियों को जिन्हें कलकत्ता पत्तन न्यास के अध्यक्ष द्वारा नौभारक के रूप में कृत्य करने के लिये अनुज्ञप्ति दी गई है, अनुज्ञप्ति के चालू रहने के दौरान स्कीम के अधीन रजिस्ट्रीकृत किया गया समझा जायेगा ।"
		(4) खण्ड 48 के उपखण्ड (1) की मद (2) में, उपमद (ख) में, "बोर्ड" शब्द के स्थान पर, दोनों स्थानों पर जहाँ वे आते हैं, "अध्यक्ष" शब्द रखा जायेगा । (5) खण्ड 52 में,— (क) उपखण्ड (2) का लोप किया जायेगा तथा उपखण्ड (3), (4) व (5) को क्रमशः उप- खण्ड (2), (3) व (4) के रूप में पुनः संख्यांकित किया जायेगा । (ख) इस प्रकार पुनः संख्यांकित किये गये उपखण्ड (3) में शब्दों, ब्रेकेटों व अंकों "उपखण्ड (1), (2) व (3)" के स्थान पर "उपखण्ड (1) व (2)" रखा जायेगा ।

[का. सं. एल बी-13013/7/87-एल-4]

योगेन्द्र नारायण, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd March, 1988

S. O. 241(E):—Whereas draft of a scheme to amend various Dock Workers (Regulation of Employment) Schemes specified in the Schedule annexed hereto was published as required by sub-section (1) of section 4 of the Dock Workers (Regulation of Employment) Act, 1948 (9 of 1948), with the notification of the Government of India in the Ministry of Surface Transport No. S. O. 2544, dated the 3rd September, 1987 in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (ii) dated the 19th September, 1987 at pages 3138 to 3140, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby within a period of 45 days from the date of publication of the said notification in the Official Gazette :

And whereas copies of the said Gazette were made available to the public on the 24th September, 1987 ;

And whereas objections and suggestions received from the public on the said draft have been considered by the Central Government ;

Now therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the said Act, the Central Government hereby makes the following Scheme, namely :—

SCHEME

1. (1) This Scheme may be called the Dock Workers (Regulation of Employment) Amendment Scheme, 1988.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. The Dock Workers (Regulation of Employment) Scheme mentioned in column (2) of the Schedule annexed hereto shall be amended in the manner specified in column (3) thereof.

SCHEDULE

Sl. No.	Short title	Amendment
(1)	(2)	(3)
1.	The Bombay Dock Workers (Regulation of Employment) Scheme, 1956.	<p>(i) in clause 7, in sub-clause (1),—</p> <p>(a) in item (c), the words "registered employers and" shall be omitted;</p> <p>(b) in item (d), the word "adjusting" shall be omitted;</p> <p>(ii) in clause 8, sub-clause (d) shall be omitted;</p> <p>(iii) in clause 15, in sub-clause (1), for item (c), the following item shall be substituted, namely:—</p> <p>"(c) persons who have been licenced to function as stevedores by the competent authority of Bombay Port Trust shall be deemed to have been registered under the Scheme during the currency of the licence.";</p> <p>(iv) in clause 44, in sub-clause (1), in item (ii), in sub-item (b), for the word "Board", at both the places where it occurs, the word "Chairman" shall be substituted;</p> <p>(v) in clause 48, —</p> <p>(a) sub-clause (2) shall be omitted and sub-clause (3), (4) and (5) shall be renumbered as sub-clauses (2), (3) and (4) respectively ;</p>

(1) (2) (3)

(a) in sub-clause (3) as so renumbered, for the words, brackets and figures "sub-clause (1), (2) and (3)", the words, brackets and figures "sub-clauses (1) and (2)," shall be substituted;

2. The Madras Dock Workers (Regulation of Employment) Scheme, 1956

(i) in clause 7, in sub-clause (1),—

(a) in item (c), the words "registered employers and" shall be omitted;

(b) in item (d), the word "adjusting" shall be omitted;

(ii) in clause 8, sub-clause (d) shall be omitted;

(iii) in clause 15, in sub-clause (1), for item (c), the following item shall be substituted, namely :—

"(c) persons who have been licenced to function as stevedores by the competent authority of Madras Port Trust shall be deemed to have been registered under the Scheme during the currency of the licence.";

(iv) in clause 45, in sub-clause (1), in item (ii), in sub-item (b), for the word "Board", at both the places where it occurs, the word "Chairman" shall be substituted;

(v) in clause 49,—

(a) sub-clause (2) shall be omitted and sub-clauses (3), (4) and (5) shall be renumbered as sub-clauses (2), (3) and (4) respectively;

(b) in sub-clause (3) as so renumbered, for the words, brackets and figures "sub-clauses (1), (2) and (3)", the words brackets and figures "sub-clauses (1) and (2)" shall be substituted;

3. The Cochin Dock Workers (Regulation of Employment) Scheme, 1959

(i) in clause 7, in sub-clause (1),—

(a) in item (c), the words "registered employers and" shall be omitted;

(b) in item (d), the word "adjusting" shall be omitted;

(ii) in clause 8, sub-clause (d) shall be omitted;

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
		(iii) in clause 15, in sub-clause (1), for item (c), the following item shall be substituted, namely:— “(c) persons who have been licenced to function as stevedores by the competent authority of Cochin Port Trust shall be deemed to have been registered under the Scheme during the currency of the licence.”;			(v) in clause 48, — (a) sub-clause (2) shall be omitted and sub-clauses (3), (4) and (5) shall be renumbered as sub-clauses (2), (3) and (4) respectively; (b) in sub-clause (3) as so renumbered, for the words, brackets and figures “sub-clauses (1), (2) and (3)”, the words, brackets and figures “sub-clauses (1) and (2)” shall be substituted;
		(iv) in clause 45, in sub-clause (1), in item (ii), in sub-item (b), for the word “Board”, at both the places where it occurs, the word “Chairman” shall be substituted;	5. The Mormugao Dock Workers (Regulation of Employment) Scheme, 1965		(i) in clause 7, in sub-clause (1),— (a) in item (c), the words “registered employers and” shall be omitted; (b) in item (d), the word “adjusting” shall be omitted; (ii) in clause 8, sub-clause (d) shall be omitted;
		(v) in clause 49,— (a) sub-clause (2) shall be omitted and sub-clauses (3), (4) and (5) shall be renumbered as sub-clauses (2), (3) and (4) respectively; (b) in sub-clause (3) as so renumbered, for the words, brackets and figures “sub-clauses (1), (2) and (3)”, the words, brackets and figures “sub-clauses (1) and (2), shall be substituted;			(iii) in clause 16, in sub-clause (1), for item (c), the following item shall be substituted, namely :— “(c) persons who have been licenced to function as stevedores by the competent authority of Mormugao Port Trust shall be deemed to have been registered under the Scheme during the currency of the licence.”;
4. The Visakhapatnam Dock Workers (Regulation of Employment) Scheme, 1959		(i) in clause 7, in sub-clause (1),— (a) in item (c), the words “registered employers and” shall be omitted; (b) in item (d), the word “adjusting” shall be omitted; (ii) in clause 8, sub-clause (d) shall be omitted; (iii) in clause 14, in sub-clause (1), for item (c), the following item shall be substituted, namely :— “(c) persons who have been licenced to function as stevedores by the competent authority of Visakhapatnam Port Trust shall be deemed to have been registered under the Scheme during the currency of the licence.”; (iv) in clause 44, in sub-clause (1), in item (ii), in sub-item (b), for the word “Board” at both the places where it occurs, the word “Chairman” shall be substituted;			(iv) in clause 46, in sub-clause 1, in item (ii), in sub-item (b), for the word “Board” at both the places where it occurs, the word “Chairman” shall be substituted;
					(v) in clause 50,— (a) sub-clause (2) shall be omitted and sub-clauses (3), (4) and (5) shall be renumbered as sub-clauses (2), (3) and 4 respectively; (b) in sub-clause (3) as so renumbered, for the words, brackets and figures “sub-clauses (1), (2) and (3)”, the words, brackets and figures “sub-clauses (1) and (2)” shall be substituted;

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
6. The Kandla Dock Workers (Regulation of Employment) Scheme, 1969	(i) in clause 7, in sub-clause (1),— (a) in item (c), the words "registered employers and" shall be omitted; (b) in item (d), the word "adjusting" shall be omitted; (ii) in clause 8, sub-clause (d) shall be omitted; (iii) in clause 16, in sub-clause (1) for item (c), the following item shall be substituted, namely :— “(c) persons who have been licenced to function as stevedores by the competent authority of Kandla Port Trust shall be deemed to have been registered under the Scheme during the currency of the licence.” (iv) in clause 46, in sub-clause (1), in item (ii), in sub-item (b), for the word "Board" at both the places where it occurs, the word "Chairman" shall be substituted; (v) in clause 50,— (a) sub-clause (2) shall be omitted and sub-clauses (3), (4) and (5) shall be renumbered as sub-clauses (2), (3) and (4) respectively; (b) in sub-clause (3) as so renumbered, for the words, brackets and figures "sub-clauses (1), (2) and (3)", the words, brackets and figures "sub-clauses (1) and (2)" shall be substituted;		7. The Calcutta Dock Workers (Regulation of Employment) Scheme, 1970	(i) in clause 7, in sub-clause (1),— (a) in item (d), the words "registered employer and" shall be omitted; (b) in item (e), the word "adjusting" shall be omitted; (ii) in clause 8, sub-clause (b) shall be omitted; (iii) in clause 17, in sub-clause (1), for item (c), the following item shall be substituted, namely :— “(c) persons who have been licenced to function as stevedores by the competent authority of Calcutta Port Trust shall be deemed to have been registered under the Scheme during the currency of the licence.”; (iv) in clause 48, in sub-clause (1), in item (ii), in sub-item (b), for the word "Board" at both the places where it occurs, the word "Chairman" shall be substituted; (v) in clause 52,— (a) sub-clause (2) shall be omitted and sub-clauses (3), (4) and (5) shall be renumbered as sub-clauses (2), (3) and (4) respectively; (b) in sub-clause (3) as so renumbered for the words, brackets and figures "sub-clauses (1), (2) and (3)", the words, brackets and figures "sub-clauses (1) and (2)" shall be substituted;	

[File No. LB-13013/7/87—L. IV]

YOGENDRA NARAIN, Jt. Secy.

